समक्ष राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर खण्डपीठ रीवा (म.प्र.)

पुनरीक्षण प्रकरण क्र. ..../2015

अनिल कुमार पटेल तनय श्री अयोध्या प्रसाद पटेल, निवासी ग्राम टटिहरी, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा, (म.प्र.)

.... आवेदक

बनाम

1. काशी प्रसाद (मृतक) वारिस –

1.अ. शिवदयाल पिता काशी प्रसाद,

1.ब. राजकरण पिता स्व. काशी प्रसाद,

1.स. कैलसुआ पिता स्व. काशी प्रसाद,

1.द. मनगिरिया पुत्री स्व. काशी प्रसाद,

1.इ. श्यामवती पुत्री स्व. काशी प्रसाद,

सभी निवासी ग्राम पड़रिया, तह. रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा, (म.प्र.)

2. मथुरा प्रसाद (मृतक) वारिस –

2.अ. रामसुमिरन पिता स्व. मथुरा प्रसाद,

2.ब. गंगी पुत्री स्व. मथुरा प्रसाद,

दोनो निवासी ग्राम पड़रिया, तह. रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा, (म.प्र.)

3. श्यामलाल,
4. श्याम सुन्दर,

दोनो के पिता सुदामा प्रसाद,

दोनो निवासी ग्राम पड़रिया, तह. रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा, (म.प्र.)

5. लक्ष्मण प्रसाद
6. आनन्द बहादुर,

दोनो के पिता श्री राजकरण,

दोनो निवासी ग्राम पड़रिया, तह. रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा, (म.प्र.)

7. मनराज प्रसाद,
8. इन्द्रमन प्रसाद,
9. गोमती प्रसाद,

तीनों के पिता अयोध्या प्रसाद पटेल,

तीनों निवासी ग्राम कुआं, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा, (म.प्र.)

10. दुरघटिया पत्नी विद्यार्थी प्रसाद,
11. कमलेश पिता विद्यार्थी प्रसाद,
दोनो निवासी ग्राम पड़रिया, तह. रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा, (म.प्र.)
12. छकौड़ी प्रसाद पिता इन्द्रजीत पटेल, निवासी ग्राम कुआं, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा, (म.प्र.)

.... अनावेदकगण

पुनरीक्षण विरुद्ध आदेश न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय, तह. रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा, (म.प्र.) बावत् राजस्व प्रकरण क्र. 10/अ–27/1992–93 आदेश दिनांक 24.08.2015

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 ईस्वीं।

मान्यवर,

:: **प्रकरण के तथ्य** ::

अनावेदक क्र. 1 ता 6 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में न्यायालय नायब तहसीलदार, सर्किल डेल्ही, तह. रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा के राजस्व प्रकरण क्र. 29/अ–27/1991–92 निर्णय दिनांक 10.8.1992 के विरुद्ध दिनांक 30.10.1992 को विलम्बित अपील प्रस्तुत किया।

अपील के साथ धारा 5 समय सीमा अधिनियम का आवेदन प्रस्तुत किया जिसका जवाब लिया जाकर व धारा 5 समय सीमा अधि. के आवेदन पर सुनवाई की जाकर बिना तार्किक विश्लेषण किये व विधि विरुद्ध आदेश दिनांक 24.8.2015 को धारा 5 म्याद अधिनियम का आवेदन स्वीकार किया गया जिससे व्यथित होकर यह पुनरीक्षण श्रीमान् के न्यायालय में विभिन्न वैधानिक आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है।

:: **पुनरीक्षण के आधार** ::

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक –निगरानी– 3218–दो/2015 **जिला–रीवा**

अनिल कुमार पटेल विरूद्ध काशी प्रसाद (मृतक) वारिसान– शिवदयाल आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
05–03–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री आर.एस. सेंगर एवं अनावेदक क्रमांक 1 से 6 की ओर श्री प्रदीप श्रीवास्तव तथा अनावेदक क्रमांक 1 के वारिसान अ,इ,स,द, ई व 2 (अ) 3,4, 6 की ओर से श्री आई.पी. द्विवेदी अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला–रीवा के प्रकरण क्रमांक 10/अ–27/1992–93 में पारित आदेश दिनांक 24–08–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 03–05–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य 5/3/19	